संख्या-754/2017/1965/22-2-2016-17(351)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 2017**

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मथुरा प्रसाद पुत्र श्री दयाराम, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी मथुरा प्रसाद पुत्र श्री दयाराम, निवासी ग्राम-अमखेड़ा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बन्दी ने प्रधानी चुनाव की रंजिश में दिनांक 14.12.2001 को अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका व तमंचा से हरपाल की हत्या कर दी तथा एक अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-553/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट टैक कोर्ट-1, पीलीभीत के आदेश दिनांक 23-10-2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दायर अपील को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 25.05.2012 द्वारा उक्त् सजा को यथावत रखा। बन्दी द्वारा दिनांक 03.06.2016 तक 14 वर्ष, 05 माह, 17 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 08 माह, 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय के आदेश द्वारा दोषमुक्त हो चुका है एवं बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक तथा आर्थिक दशा ठीक होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण दिनांक 14.12.2001 को अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका व तमंचा से हरपाल की हत्या करने तथा एक अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 59 वर्ष, 08 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मथुरा प्रसाद पुत्र श्री दयाराम, निवासी जनपद-पीलीभीत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मथुरा प्रसाद (बन्दी संख्या-42348) पुत्र श्री दयाराम, निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-754/2017/1965(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-पीलीभीत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा 0राज्यमंत्री ,कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ!

4-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-754/2017/1965/22-2-2016-17(351)/2016

दिनांक 31 अगस्त, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी मथुरा प्रसाद (बन्दी संख्या-42348) पुत्र श्री दयाराम, निवासी ग्राम-अमखेड़ा, थाना-बरखेड़ा, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। बन्दी ने प्रधानी चुनाव की रंजिश में दिनांक 14.12.2001 को अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका व तमंचा से हरपाल की हत्या कर दी तथा एक अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-553/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट टैक कोर्ट-1, पीलीभीत के आदेश दिनांक 23-10-2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दायर अपील को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 25.05.2012 द्वारा उक्त् सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.06.2016 तक 14 वर्ष, 05 माह, 17 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 08 माह, 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय के आदेश द्वारा दोषमुक्त हो चुका है एवं बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी को कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक तथा आर्थिक दशा ठीक होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा प्रधानी के चुनाव की रंजिश के कारण दिनांक 14.12.2001 को अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांका व तमंचा से हरपाल की हत्या करने तथा एक अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु 59 वर्ष, 08 माह है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किए गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मथुरा प्रसाद पुत्र श्री दयाराम, निवासी जनपद-पीलीभीत को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।